दिनांक 13.04.2017 को अपराह्न 4:00 बजे अपर सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति

1. श्री संजय कुमार सिंह	– अपर सचिव	– अध्यक्ष
2. श्रीमति सुधा रानी	– विशेष कार्य पदा0,	– सदस्य
3. श्री सुजीत कुमार राय	– संयुक्त श्रमायुक्त	– सदस्य
4. श्रीमति अरुणा सिन्हा	– उप निदेशक, नियोजन	– सदस्य
5. डॉ0 (श्रीमति) तृप्ति चौधरी	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
6. श्री सतीश कुमार शाही	– अवर सचिव, प्रशिक्षण पक्ष	
7. श्री मुस्तफा मंसूरी	– प्रशाखा पदाधिकारी– 03 (सरकार पक्ष)	
8. डॉ0 विनायक पद्माकर	– प्रशाखा पदाधिकारी– 01 (सरकार पक्ष)	
9. श्री शशि भूषण तिवारी	– प्रशाखा पदाधिकारी– श्रम पक्ष	
9. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

सरकार पक्ष (प्रशाखा–1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डा0 एस0एस0 मुजफरउद्दीन बलखी, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी 2. डा0 उषा प्राण्डेय, आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	**सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवा सम्पुष्टि, ए0 सी0 पी0 लाभ की स्वीकृति तथा सेवा शर्त नियमावली के गठन के संबंध में–** प्रशाखा–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में प्रशाखा–1 के स्तर से की जाने वाली सभी कार्रवाई की जा चुकी है। शेष कार्रवाई चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जानी है। इस कारण इसे प्रशाखा–1 से विलोपित करते हुए निदेशालय से अद्यतन स्थिति की सूचना की माँग की जा सकती है। समिति द्वारा समीक्षा के कम में पाया गया कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नयी नियमावली तैयार करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से प्रतिवेदन की माँग की गयी है और वहाँ से कृत कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है। अतः इस मामले को प्रशाखा–1 की लंबित सूची से विलोपित करते हुए इसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना पक्ष की लंबित सूची में दर्शाए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
3. डा0 सी0 के0 पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, बीमा चिकित्सा पदा0, सेवा संघ	**डायनेमिक ए0 सी0 पी0 संबंधित नई सेवा नियमावली एवं संवर्गीय आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में–** प्रशाखा –1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में प्रशाखा–1 के स्तर से की जाने वाली सभी कार्रवाई की जा चुकी है। शेष कार्रवाई चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जानी है। इस कारण इसे प्रशाखा–01 की लंबित सूची से विलोपित करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय

	से अद्यतन की स्थिति की सूचना की माँग की जा सकती है। समिति द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली –2017 को तैयार करने की कार्रवाई कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जा रही है। आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में नयी सेवा नियमावली लागू करने सहित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सेवा संवर्ग के लिये डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने तथा बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग के आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति देते हुए भरे जाने का भी उल्लेख किया है। उक्त संवर्ग को डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने एवं आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति के संबंध में प्रशाखा –1 द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। प्रशाखा पदाधिकारी –1 को निदेश दिया गया कि आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लिखित उक्त बिन्दुओं के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन समिति को उपलबध कराया जाय।
4. श्रीमती प्रीतालाल पति–स्व0 डा0 ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा चिकित्सा पदा0 क0 रा0 बीमा योजना	**<u>मृत्युपरान्त मिलने वाली पावनाओं के संबंध मे–</u>** प्रशाखा पदा0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदन पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लंबित है। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में लिखा गया है। प्रधान सचिव के स्तर से पत्रांक–3015 दिनांक– 18.10.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया है। पुनः स्मारित करने का प्रस्ताव उपस्थापित किया जा रहा है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि शीध्र प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के स्तर से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को स्मारित किया जाए एवं तदनुसार सूचना प्राप्त कर समिति को अवगत कराया जाए।
5. श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त प्रभारी, उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	**<u>दिनांक 01.04.1994 के प्रभाव से उप निदेशक, नियोजन के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में–</u>** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के आवेदन के आलोक में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति विचारणीय है। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त कर तद्आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई अपेक्षित है। विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष इनके मामले को रखने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन में काफी विलम्ब हो गया है। अतः इसका शीध्र निष्पादन कराया जाए।
6. श्री श्याम प्रसाद सिन्हा सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0)	**<u>वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग द्वारा निर्धारित वेतनादि का लाभ नही मिलने के संबंध में–</u>** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा के आवेदन के आलोक में सेवा सम्पुष्टि से संबंधित आदेश निर्गत किया जा चुका है। आवेदक के ग्रेड पे उत्क्रमण संबंधी अधिसूचना भी निर्गत कर दिया गया है। इस मामले को समाप्त किया जाय। प्रशाखा पदा0–1 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में मामले को निष्पादित मानते हुए इसे सूची से विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
7. सचिव, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संगठन, पटना।	**<u>बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में–</u>** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण सेवा सम्पुष्टि नहीं हो पा रही

8. अतुल रंजन एवं अन्य प्राचार्य / उप प्राचार्य संवर्ग	थी। महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए संपुष्टि का निर्णय लिया जा चुका है। चारित्री / आरोप की सूचना प्राप्त हो गई है। सेवा सम्पुष्टि के प्रस्ताव के साथ संचिका उपस्थापित है। प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आवेदकों के सेवा सम्पुष्टि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए मामले का निष्पादन कराया जाय।
9. डॉ0 कमलेश्वर नारायण अग्रवाल सेवा निवृत, क्षे0प्र0चि0 पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	**<u>अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में–</u>** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लगभग 40 पदाधिकारी के साथ इनके मामले को रखा जा रहा है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए कृत कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

श्रम पक्ष

- श्रम पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय / अद्यतन स्थिति
1. श्री राधा बिहारी प्रसाद सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदा0	**वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में।** श्रम पक्ष द्वारा विगत बैठक में प्रतिवेदित किया गया था कि आवेदक के ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 06.10.2016 को सम्पन्न स्कीनिंग समिति की बैठक में इनके मामले को विचारित करते हुए अस्वीकृत करने का निर्णय हुआ है। वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। श्रम पक्ष द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया तथा बैठक में उपस्थित श्रम पक्ष के प्रशाखा पदाधिकारी श्री शशि भूषण तिवारी द्वारा बताया गया कि श्री राधा बिहारी प्रसाद के विरूद्ध उनके राजगीर, नालन्दा के पदस्थापन काल में की गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय कार्यवाही (आदेश ज्ञापांक 04 दिनांक 27.03.2000) लंबित थी, जिसका निस्तार हो गया है तथा उक्त के आलोक में इनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती पॉच वर्षो के लिये किये जाने का निर्णय लेते हुए आदेश सं0 1336 दिनांक 31.03.2017 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। समीक्षा के कम में समिति द्वारा पाया गया कि आवेदक की शिकायंत वेतन विमुक्ति , वेतन वृद्धि से संबंधित है, जो वर्तमान के आदेश से आच्छादित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आवेदक के शिकायतों के संबंध में लिये गये निर्णय से समिति को अवगत कराया जाय।